

न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बायतु जिला- बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी श्री सज्जनराम आर.टी.एस

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये		देवाराम, शंकराराम, हरूराम, नेताराम वारिशान रतनाराम
पटवारी हल्का कोसरिया		कौम जाट निवासी लापला

मुकदमा नम्बर 11/2020 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 21.10.2020

पत्रावली आज पेश हुई। विप्रार्थी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विप्रार्थी द्वारा संवत् 2077 में ग्राम कोसरिया के खसरा नम्बर 571/429, 570/429 में से क्रमशः 04-00 बीघा(0.6472 हैक्टेयर) एवं 25.00 बीघा(4.0450 हैक्टेयर) किस्म बा.दो.(सिवायचक) भूमि पर अनाधिकृत रूप से काश्त/कब्जा कर लिया गया है। पटवारी हल्का कोसरिया द्वारा रिपोर्ट पेश की, जिसके आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस विप्रार्थी से तामील होकर प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

पत्रावली व पटवारी रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। विप्रार्थी द्वारा सरकारी भूमि पर बिना किसी अधिकार के कब्जा किया है जो अवैध है। अतः विप्रार्थी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर सरकारी भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। साथ ही भूमि के वार्षिक लगान कागुणा राशि 200/- अखरे दो सौ रुपये जुर्माना आरोपित किये जाते हैं। जो विप्रार्थी से वसूल हो।

पटवारी हल्का अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल कर जुर्माना / शास्ति राशि वसूल करें तथा भूअभिलेख निरीक्षक नीलामी की कार्यवाही कर फर्द नीलामी स्वीकृति हेतु पेश करें।

तहसील राजस्व लेखाकार उक्त प्रकरण में मांग कायमी कर वसुली करें। पत्रावली फेसल सुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय खुली अदालत सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 21/10/20 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



तहसीलदार एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट बायतु